**20 फरवरी 2018**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

ISSUE BRIEF

# विश्व साइबर जगत सम्मेलन (जीसीसीएस) 2017

*डॉ. चयनिका डेका**

**परिचय**

विश्व साइबर जगत सम्मेलन (जीसीसीएस) एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन है जो व्यापक साइबर पर्यावरण के खतरों तथा चुनौतियों की प्रकृति पर बल देते हुए साइबर जगत के मुद्दे पर केन्द्रित है। जीसीसीएस में शामिल देश सरकार, नागरिक समाज तथा उद्योग जैसे सभी हितधारकों सहित साइबर जगत में वैश्विक रूप से स्वीकृत डिजाइन तैयार करने के लिए सामूहिक रूप से सहमत हुए।

'समावेशी साइबर जगत को प्रोत्साहित करने तथा डिजिटल लोकतन्त्र की बहाली के लिए समावेशिता, निरन्तरता, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, तकनीक तथा साझेदारी हेतु नीतियों पर ध्यान केन्द्रित करने और डिजिटल कूटनीति हेतु संवाद पोषण' के लक्ष्य के साथ नई दिल्ली में 23-24 नवम्बर को जीसीसीएस के पाँचवें संस्करण का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया और इसमें श्रीलंका के प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे शामिल हुए। इसमें 33 मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहित 124 देशों के प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया।

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान कुल चार पूर्ण सत्रों तथा 12 समान्तर सत्रों का आयोजन किया गया जिसकी केन्द्रीय संकल्पना 'सभी के लिए साइबर : सतत विकास हेतु सुरक्षित एवं समावेशी साइबरस्पेस'। चार पूर्ण सत्रों की उप-संकल्पना (अ) विकास हेतु साइबर, (ब) डिजिटल समावेशन हेतु साइबर, (स) सुरक्षा हेतु साइबर, तथा (द) कूटनीति हेतु साइबर थी।

भारत के डिजिटल सशक्तीकरण की संकल्पना को प्रदर्शित करते हुए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र ने अपने भाषण से सम्मेलन की धारा स्थापित करते हुए सामान्य मानव के जीवन को सरल बनाने हेतु तकनीक के मानवीय पहलू के माध्यम से भारत सरकार के प्रयासों सहित साइबर जगत के क्षेत्र में इण्टरनेट की समावेशी प्रकृति तथा भारतीय उपलब्धियों को रेखांकित किया। किन्तु यह कार्यक्रम केवल इसी पहलू तक सीमित नहीं था। इसमें आतंकी समूहों द्वारा इन्टरनेट के उपयोग, साइबर जगत में राजनयिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा इसे सक्षमकर्ता के रूप में सरकार की भूमिका जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की गयी।

**उद्देश्य**

जीसीसीएस के पाँचवें संस्करण के प्रसंग में इस लेख में समारोह के दौरान प्रमुख विचार-विमर्श की परिचर्चा तथा विश्लेषण किया जायेगा। यह लेख तीन खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में जीसीसीएस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा की जायेगी जिसका पहला आयोजन 700 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल की उपस्थिति में लन्दन में 2011 में किया गया था। इसे "लन्दन प्रोसेस" के नाम से जाना गया जिसने साइबर जगत के क्षेत्र में एक उदाहरण स्थापित किया। इसका दूसरा सम्मेलन 60 देशों के 700 प्रतिनिधिमण्डलों सहित 2012 में बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। तीसरा और चौथा सम्मेलन क्रमश: 2013 (सियोल) तथा 2015 (नीदरलैण्ड्स) में आयोजित किया गया। तीसरे संस्करण में 1600 भागीदारों ने तथा चौथे संस्करण में 60 देशों के 1800 प्रतिनिधिमण्डलों ने भाग लिया। इन सभी चारों संस्करणों में चार प्रमुख मुद्दों पर परिचर्चा हुई : आर्थिक वृद्धि तथा विकास, सामाजिक लाभ, सुरक्षित तथा विश्वसनीय उपलब्धता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा साइबर अपराध। इस वर्ष के पाँचवें संस्करण में इसका दायरा बढ़ाया गया और इसमें तकनीकी का मानवीय पहलू, सक्षमकर्ता के रूप में सरकार की भूमिका तथा साइबर कूटनीति की उपयोगिता शामिल की गयी। प्रतिनिधियों और देशों की संख्या में वृद्धि तथा कार्यसूची का विस्तार प्रदर्शित करता है कि जीसीसीएस प्रत्येक सम्मेलन में विकसित होता गया है।

दूसरे खण्ड में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख विकासों को रेखांकित करते हुए जीसीसीएस 2017 पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इस लेख का तीसरा खण्ड निष्कर्ष का है।

## खण्ड I

### तालिका 1. जीसीसीएस की बैठक तथा कार्यसूची

| संकल्पना | 2011 लन्दन नवम्बर 1-1 | 2012 बुडापेस्ट अक्टूबर 4-5 | 2013 सियोल अक्टूबर 17- | 2015 हेग अप्रैल 16-17 | 2017 दिल्ली नवम्बर 23- |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | 18 | | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| सरकार की भूमिका | विश्व में नागरिक समाज तथा उद्योग की सहायता से साइबर अपराधों से निपटने के लिए देशों का चिन्हीकरण | विकास को गति देने के लिए आईसीटी के प्रति सरकारी संज्ञान | सरकार, उद्योग तथा नागरिक समाज के मध्य सहयोग | समस्त हितधारकों जैसे सरकार, उद्योग तथा नागरिक समाज की संलिप्तता | आईसीटी के क्षेत्र में विकास एक बहु-हितधारकों की गतिविधि है जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, एनजीएस, तकनीकी विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी सबकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन हेतु आईसीटी की संलिप्तता से 'न्यूनतम सरकार और उत्तम प्रशासन के साकार होने में' आईसीटी एक प्रभावी उपकरण माना गया। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | डिजिटल जगत में किसी प्रकार की बाधा पहुँचाने वाले की बजाय सक्षमकर्ता तथा सुविधा प्रदाता के रूप में नई भूमिका निभाने के लिए सरकार का आह्वान किया गया।<br><br>सरकार को विश्व भर में सरकारी नीति निर्माण में परिवर्द्धन की अपेक्षा हेतु डिजिटल जगत की सहायता से नागरिकों तथा आर्थिक विकास के मध्य एक सेतु की भूमिका निभानी चाहिए। |
| आर्थिक वृद्धि तथा विकास | भौतिक अवसंरचना का विस्तार तथा प्रशिक्षण, आईसीटी उद्योग के | सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के लिए साइबरजगत को मुक्त एवं स्वतन्त्रता | इन्टरनेट 'आनलाइन परिवेश में व्यक्तिगत सूचना का संरक्षण तथा ऑनलाइन | इसने अर्थव्यवस्था के रूपान्तरण में इंटरनेट की भूमिका को पहचाना है। 'सभी के लिए इंटरनेट की उपलब्धता तथा साइबर क्षमता निर्माण' | नवाचार तथा उद्यमिता हेतु नये क्षेत्र उपलब्ध कराकर देशों के आर्थिक विकास में |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | विकाश में युवाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रण, प्रतिस्पर्द्धी साइबर बाजार को प्रोत्साहन | करना तथा 'ब्राडबैण्ड की उपलब्धता, नियामक ढाँचे, इंटरनेट अर्थव्यवस्था, अवसंरचना पृष्ठभूमि जैसे शिक्षा की भूमिका, सुरक्षा तथा निजता की समस्या, बौद्धिक सम्पदा के अधिकार, सामाजिक संजाल तथा मोबाइल कनेक्शन के उत्थान' को प्रोत्साहन, सुरक्षा तथा विकास के मध्य सम्बन्ध, सीमान्त समूह को सशक्त करने हेतु तकनीकी का उपयोग, विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता के तीन क्षेत्रों अर्थात कनेक्टिविटी | लेन-देन तथा विनिमय में उपभोक्ताओं तथा उपयोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सूचना के मुक्त प्रवाह, अनुसन्धान, नवाचार, उद्यमिता तथा व्यापार रूपान्तरण' प्रस्तावित करता है | के लक्ष्य सहित शिक्षा, व्यापार एवं नवाचार हेतु विश्वसनीय एवं उचित नीति अवसंरचना पर ध्यान दिया गया है। मुक्त इंटरनेट मानकों का क्रियान्वयन। | वृद्धि के लिए साइबर जगत के महत्त्व को स्वीकार किया है।<br><br>उद्योग 4.0 द्वारा लाये गये उद्भव को रेखांकित किया। भविष्य में रोबोटिक्स का विकास, कृत्रिम सतर्कता, आईओटी, डाटा विश्लेषण प्रशासन की संरचना में परिवर्तन लायेंगे।<br><br>सम्मेलन में सामान्य जन तक पहुँच बनाने के लिए साइबर जगत के परिदृश्य में विज्ञान एवं तकनीक के आधुनिक क्षेत्र के साथ परम्परागत विशेषज्ञता को जोड़ने का आह्वान किया गया। यहाँ विश्व में |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (सम्पर्क), नवाचार तथा परिवर्तन सहित आईसीटी अवसंरचना के आवश्यक घटक के रूप में वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन | | | सरकारों की भूमिका प्रशंसनीय है। इस तथ्य को जानते हुए कि आजकल सरकारें डिजिटल अवसंरचना के सृजन द्वारा डिजिटल माध्यम से नागरिकों को कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं, जनसमुदाय को डिजिटल रूप से सशक्त किया जा रहा है, एम-प्रशासन का उपयोग हो रहा है और नागरिकों की भागीदारी बढ़ी है। इन सभी से सीमान्त समुदायों को इसकी उपलब्धता की जा रही है जैसे इसने कहा, "डिजिटल बिन्दुओं की उपस्थिति का सृजन : अन्तिम पड़ाव |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | तक सम्पर्क सन्धि, जो वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा तथा अन्य अनेक चीजों में नागरिकों की माँग बढ़ाने के लिए सतत व्यापार तथा सेवा मॉडल उपलब्ध करा सकता है।" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | समान उपलब्धता तथा समान सम्भावनाएँ प्रदान करते हुए इंटरनेट की समावेशी प्रकृति ने नवाचार, डिजिटल तकनीक पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की निर्भरता में वृद्धि की है। |
| सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ | इंटरनेट को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहुँच को उन्नत बनाकर समाज के सीमान्त वर्गों तक पहुँचने में महत्त्वपूर्ण निभानी चाहिए। | सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक सुधार को प्रोत्साहित करते हुए विश्वव्यापी इंटरनेट कनेक्शन, साइबर सुरक्षा हेतु नियम निर्धारित करने के लिए निजी क्षेत्र को आमन्त्रण, विषय-सामग्री के प्रबन्धन में उत्तरदायी इंटरनेट प्रदाता, इंटरनेट के मुक्य व्यवहार | ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का संरक्षण। इंटरनेट द्वारा राष्ट्रों की सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक तथा पारम्परिक विविधताओं को मान्यता। | जनता की निजता के परिप्रेक्ष्य में नवाचार तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, ऑनलाइन मानव अधिकारों का संरक्षण तथा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता। | निश्चित सीमाओं में साइबर जगत में स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन, उपयोक्ताओं की निजता का सम्मान होना चाहिए।<br><br>नागरिकं की बढ़ती भागीदारी जीसीसीएस 2017 का केन्द्रबिन्दु है। नि:शुल्क मुक्त एवं समावेशी साइबर जगत ने सभी प्रकार |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | तथा राज्य के इंटरनेट पर निषेध के मध्य विवाद का निपटारा | | | के नागरिकों को एकसमान प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है भले ही वे 'ज्ञान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा' से युक्त हों या न हों। साइबर स्पेस जगत ने प्रतिभा तथा क्षमता को उजागर करने के लिए दिव्यांगजनों को अनेक अवसर प्रदान किये हैं। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सुरक्षित तथा विश्वसनीय पहुँच (एक्सेस) | सेंसरशिप के बिना सुरक्षित तथा विश्वसनीय साइबर स्पेस, आवंटित नामों तथा संख्याओं के इंटरनेट निगम (आईसीएएनएन) की भूमिका की मान्यता, इंटरनेट प्रशासन मंच, एकल अविभाजित नेटवर्क अनुरक्षित करने में निजी क्षेत्र तथा कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सीईआरटी) की भूमिका | साइबर स्पेस हेतु व्यापक नीति की आवश्यकता। स्थानीय संस्कृति तथा दशाओं के प्रोत्साहन तथा साइबर सुरक्षा में एक ही नियम सभी के लिए उपयुक्त की नीति लागू नहीं की जा सकती, ज्ञान तथा सूचना की साझेदारी के साथ साइबर स्पेस के संव्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा निजी क्षेत्र की संलिप्तता को मजबूत करना। | सरकारों, उद्योग तथा व्यक्तिगत उपयोक्ताओं द्वारा साइबर स्पेस तथा महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं के संरक्षण में साइबर नीतियों का विकास, साइबर दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रों के मध्य सहयोग। | इंटरनेट प्रशासन हेतु बहु-हितधारक उपागम। इंटरनेट प्रशासन मंच का सम्मान, वैश्विक इंटरनेट समुदाय के लिए आईसीएएनएन के प्रयासों की प्रशंसा की | महिलाओं तथा बच्चों जैसे संवेदनशील वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व सहित मुक्त, नि:शुल्क तथा नमनीय साइबर स्पेस। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों को प्रोत्साहन। |
| अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा साइबर अपराध | राष्ट्रों के मध्य डिजिटल लाभ के अन्तर को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास, विकासशील देशों को अधिक इंटरनेट कनेक्शन, अन्तर्राष्ट्रीय | अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखना, इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए विकासशील विश्व का एकीकरण। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा निजी क्षेत्र द्वारा निभाई गयी | साइबर अपराध को रोकने में सहयोगात्मक उपायों को मान्यता। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुप्रयोग और | साइबर स्पेस में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विशेषज्ञता एवं कौशल की साझेदारी पर ध्यान केन्द्रण, इंटरनेट का उपयोग करने वाले आतंकवादियों | जीसीसीएस 2017 में साइबर स्पेस के खतरों की परिचर्चा की गयी। मोबाइल फोन तथा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से साइबर स्पेस के |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | कान तथा पारम्परिक सुरक्षा उपायों के लिए राष्ट्रों की रुचि, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों द्वारा प्रोत्साहित उपाय, साइबर अपराध नियन्त्रण में सामूहिक उपागम को मान्यता, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन में स्वीकृत सिद्धान्तों का समर्थन, अन्तर्राष्ट्रीय मंच में युवाओं की भागीदारी | महत्त्वपूर्ण भूमिका सहित राज्य की केन्द्रीय भूमिका। महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को मजबूत करने तथा साइबर खतरों से उनकी सुरक्षा के लिए सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी। यूरोपोल में यूरोपीय साइबर अपराध केन्द्र की स्थापना | साइबर चुनौतियों से निपटने में राष्ट्रों का उत्तरदायी व्यवहार | की पहचान, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण पहल, राष्ट्रों के मध्य सहयोग, साइबर अपराध से निपटने में व्यापार तथा एनजीओ। साइबर विशेषज्ञता के वैश्विक मंच (जीएफसीई) का विधान, साइबर क्षमता तथा विशेषज्ञता की मजबूती। | सम्मुख नयी चुनौतियाँ उपस्थित हुई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में जहाँ सरकारी तथा संगठनात्मक कार्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से सम्पन्न होते हैं, कोई अकेला देश साइबर अपराध के विस्तार को नियन्त्रित नहीं कर सकता है। सुरक्षा एजेन्सियों के मध्य सूचना तथा समन्वयन साझा करने पर अधिक ध्यान संकेन्द्रित है। सुरक्षा तकनीकों का उपयोग, साइबर जगत में हृदयग्राही मूल्य, साइबर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | स्पेस में वैधानिक व्यवस्था को प्रोत्साहन, सक्षम साइबर विशेषज्ञ तैयार करने के लिए साइबर विशेषज्ञता प्रदान करना। सम्मेलन में इंटरनेट के सम्भावित अस्पष्ट खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रों के मध्य अत्यावश्यक सहयोग की अपील की गयी। डिजिटल जगत में अवैध गतिविधियों की देखभाल के लिए सक्षम निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता तथा 'सशक्त साइबर प्रशासन, विश्वसनीय |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सुरक्षित साझेदारी, विश्वसनीय नेटवर्क तथा उन्नत सुरक्षा तकनीकों' पर ध्यान केन्द्रण। |
| साइबर कूटनीति | | | | | डिजिटल तकनीक तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के उद्भव के कारण उत्तरदायी व्यवहार तथा राष्ट्रों के मध्य पारदेशीय सहयोग की आवश्यकता। राष्ट्रों के मध्य डिजिटल ज्ञान साझेदारी मंच का समर्थन। |

उपर्युक्त तालिका साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन में स्वीकृत मुद्दों तथा कार्यसूचियों को प्रदर्शित करती है। जीसीसीएस ने माना कि तकनीकी प्रगति से उभरने वाले साइबर खतरों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के साथ अवसर तथा चुनौतियाँ दोनों ही सृजित हुई हैं। डाटा-एन्क्रिप्टिंग रैनसमवेयर, पासवर्ड फिसिंग अटैक, अनपैच्ड सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया के खतरों, उन्नत स्थायी खतरों जैसे विभिन्न प्रकार के साइबर दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं थे। नागरिक समाज तथा उद्योग जैसे गैर-राजकीय अभिकर्ताओं की भागीदारी ऐसे साइबर खतरों को कम करने में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है जिनकी प्रकृति पारदेशीय है। इस सम्मेलन में यह तथ्य सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया कि किसी राष्ट्र विशेष द्वारा प्रबन्धित नियम तथा विनियमों के विभिन्न समुच्चयों की संस्थापना साइबर स्पेस की उस मुक्त प्रकृति में अराजकता उत्पन्न करेगी जो वैयक्तिक तथा निजी उद्योगों की सृजनात्मकता तथा प्रतिभा से फल-फूल रही है, अत: साइबर स्पेस राज्य प्राधिकरणों द्वारा ऑनलाइन गतिविधि की नीति का विषय नहीं होना चाहिए। इस सम्मेलन में इंटरनेट जगत में वैश्विक साइबर नियमों तथा विनियमों के निर्माण पर बल दिया गया जो प्रकृति से विशाल है और साइबर स्पेस में राष्ट्रीय अधिकारों तथा न्यायाधिकरणों को सीमित करती है।

बुडापेस्ट सम्मेलन में 'इंटरनेट अधिकारों तथा इंटरनेट सुरक्षा के बीच सम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रशासन तथा इंटरनेट' पर चर्चा के द्वारा साइबर सुरक्षा में एक व्यापक कार्यसूची तैयार की गयी। सम्मेलन में साइबर स्पेस में एक उचित सन्तुलन अर्थात उपयोक्ताओं को ऑनलाइन उपयोग तथा अभिव्यक्ति के अधिकार को मान्यता देते हुए इंटरनेट में लोकतान्त्रिक तथा मुक्त स्थान उपलब्ध कराने; तथा साइबर खतरों तथा साइबर आतंकवाद से इंटरनेट उपयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ निश्चित मानदण्डों की स्थापना के लिए प्रयास किया गया। इंटरनेट में नागरिक समाज की भूमिका के बढ़ते महत्त्व सहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देते हुए बुडापेस्ट सम्मेलन में घोषणा की गयी कि यह राष्ट्रों के लिए सिंक्रोनाइजेशन (तुल्यकालन) के उन्नयन तथा सुरक्षा समाधानों का प्रावधान करते हुए क्षमता निर्माण पहलों हेतु एक वैश्विक केन्द्र का सृजन होगा।

जीसीसीएस का तीसरा सम्मेलन 2013 में दक्षिणी कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया था जिसका केन्द्र बिन्दु 'सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ, एक सुरक्षित तथा संरक्षित साइबर स्पेस, साइबर अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा' तथा और इसमें दक्षिणी एशिया से भारी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सियोल सम्मेल में साइपर स्पेस पर एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया जिसका शीर्षक 'मुक्त तथा सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए सियोल ढाँचा तथा प्रतिबद्धता' था जिसमें शिक्षा, आर्थिक विकास, तथा विकास के अन्य क्षेत्रों में इन्टरनेट तक सरलता से पहुँच बनाने

के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तथा विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों से भावी परिचर्चा का आह्वान किया गया।

2015 में जीसीसीएस का चौथा सम्मेलन नीदरलैण्ड्स के हेग में सम्पन्न हुआ जिसकी परिचर्चा का बिन्दु स्वतन्त्रता, सुरक्षा तथा विकास की संकल्पना था। 'साइबर स्पेस में व्यावहारिक सहयोग को प्रोत्साहित करने, साइबर क्षमता निर्माण को बढ़ाने तथा साइबर स्पेस में उत्तरदायी व्यवहार हेतु मानदण्डों की परिचर्चा के लिए' सम्मेलन में सत्तानबे देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में निजता को मानवीय अधिकार के रूप में रेखांकित किया गया और सदस्य राष्ट्रों से इंटरनेट को 'विकास तथा नवाचार के सक्षमकर्ता के रूप में' विकसित करने का आह्वान किया गया। इस सम्मेलन के प्रमुख सुझाव 'ऑनलाइन व्यापार हेतु सुरक्षित संचालन का विकास, ऑनलाइन आतंकवादियों तथा आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष और साइबर स्पेस में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता के प्रोत्साहन सहित अभिव्यक्ति की ऑनलाइन स्वतन्त्रता की सुरक्षा' थे।

**जीसीसीएस 2017 के पाँचवें संस्करण के प्रमुख मुद्दे**

'साइबर स्पेस में समावेशिता तथा मानव अधिकारों के प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण पहलों के सृजन हेतु राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित मुक्त, अन्तरप्रचालनीय तथा असंगठित साइबर स्पेस के संरक्षण, डिजिटल विभाजन के कम करने तथा निजी क्षेत्र तथा तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका को पहचानने को महत्त्व तथा समर्थन प्रदान करना' लक्ष्य के साथ जीसीसीएस के पाँचवें संस्करण ने एक वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया जिसमें विश्व के प्रत्येक कोने से साइबर विशेषज्ञ तकनीक-प्रेरित युग में साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए एक-दूसरे से व्यापक ज्ञान, कौशल तथा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह सम्मेलन अपने पूर्व के सम्मेलनों के अनुरूप था किन्तु इस दृष्टि से अद्वितीय था कि पहली बार इसकी मेजबानी भारत जैसे विकासशील देश ने की। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व के सम्मेलन कम्प्यूटर तन्त्रों की इंटरलिंकिंग (अन्तर्संयोजन) पर अपनी अर्थव्यवस्था की भारी निर्भरता के कारण अधिकतर यूरोपीय देशों में आयोजित किये गये थे जिसे वे स्थानीय वैधानिक कानूनों का उल्लंघन किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क सिस्टम के रूप में सुरक्षित करना चाहते थे। अत: साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन से साइबर स्पेस में निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक मानदण्डों की पहचान के साथ लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ।

भारत 'नेटवर्क कनेक्टिविटी मजबूत करने, नागरिकों को सशक्त करने तथा देश में डिजिटल अंश कम करने के उद्देश्य से डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया' जैसे सरकारी विकास प्रतिमानों के केन्द्र में एक प्रमुख साइबर शक्ति बनकर उभरा है। 'डिजिटल अवसंरचना', 'सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता' तथा 'डिजिटल साक्षरता' को प्रोत्साहित करते हुए वर्तमान सरकार ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य रक्षा तथा बैंकिंग जैसे प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में एक डिजिटल पारितन्त्र

(इको सिस्टम) प्रारम्भ किया है; इन सभी को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है ताकि सामान्य जन निर्बाध जीवन का अनुभव कर सकें। डिजिटल स्पेस द्वारा प्रावधानित अवसरों का उल्लेख करते हुए भारत सरकार ने एक पुष्टिकारक पहचान आधार परियोजना का अनुपालन किया है जिसमें कुल आबादी में से 1.18 बिलियन लोगों को आधार कार्ड से लिंक (संयोजित) किया गया। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य डिजिटल रूप से समावेशी समाज तथा डिजिटल सम्पन्न तथा डिजिटल विहीनों के मध्य डिजिटल विभेद के अतिक्रमण का उल्लंघन सृजित करना है। इसके अतिरिक्त आईटी, संचार, ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से युक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी वृद्धि की गति को प्रोत्साहित करेगी। इन सभी विकासों के साथ-साथ साइबर स्पेस की सुरक्षा देश की एक महत्वपूर्ण चिन्ता है। देश को डिजिटल खतरों से निपटने की आवश्यकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है और इसके लिए आतंकवादियों तथा उन्मादी लोगों द्वारा डिजिटल दुरुपयोग करने से रोकने के लिए एक ठोस वैधानिक ढाँचे के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। यद्यपि भारत सरकार ने साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक उपाय किये हैं किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए साइबर सुरक्षा मुद्दों में एकीकृत अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पड़ताल किये जाने की आवश्यकता है।

साइबर स्पेस के पाँचवें वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीएस) में भारत की बढ़ती क्षमताओं को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रमुख साइबर शक्ति के रूप में मान्यता दी गयी। इसे ऐतिहासिक घटना बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी एवं कानून तथा न्याय मन्त्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि "जीसीसीएस 2017 विश्व समुदाय को वैश्विक अनुभव तथा विशेषज्ञ अन्तर्सूझ से सीखने का अद्भुत अवसर प्रदान करेगा और भारत में व्यवस्थित किये जा रहे तकनीक-प्रेरित रूपान्तरण के विषय में अधिक अन्वेषण करेगा।" इस सम्मेलन में परिचर्चित प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं :

- ***नागरिकों की वर्धित भागीदारी तथा प्रशासन की परिवर्तनशील भूमिका***

जीसीसीएस 2017 की परिचर्चा का केन्द्र मुक्त, खुले तथा समावेशी साइबर स्पेस में नागरिकों की वर्धित भागीदारी था जिसका लक्ष्य सभी क्षेत्रों के नागरिकों को एक समान प्लेटफॉर्म तथा विविध अवसर उपलब्ध कराना, दिव्यांग नागरिकों की साइबर क्षमताओं का उपयोग करना तथा महिलाओं एवं बच्चों जैसे संवेदनशील वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देना था। किन्तु इस सम्मेलन में यह भी विचार किया गया कि साइबर स्पेस में स्वतन्त्रता को निश्चित सीमाओं के भीतर प्रोत्साहित करना चाहिए; उपयोक्ताओं की निजता का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए।

ई-मेल, पर्सनल कम्प्यूटर से प्रारम्भ करते हुए वर्तमान में डाटा भण्डारण तथा संचार के लिए सोशल मीडिया तथा मोबाइल फोन के उपयोग तक इंटरनेट के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति ने न केवल

साइबर स्पेस में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भी क्रान्ति ला दी है। आर्थिक क्षेत्र में साइबर स्पेस के उद्भव तथा तकनीक ने आर्थिक वृद्धि की प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन ला दिया। जीसीसीएस 2017 में नवाचार तथा उद्यमिता हेतु नये क्षेत्र प्रदान करके राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि के उन्नयन में साइबर स्पेस के महत्त्व को श्रेय दिया गया।

कृत्रिम सतर्कता (एआई), वस्तुओं के इंटरनेट (आईओटी), रोबोटिक्स के रोमांच, डाटा विश्लेषण तथा 3जी तकनीकों जैसे आधुनिक तकनीकों के उद्भव के माध्यम से विश्व व्यापार एवं अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन ने सम्पूर्ण विश्व में चौथी औद्योगिक क्रान्ति ला दी है। डिजिटल युग ने व्यापक जनसमूहों को रोजगार के अवसर प्रदान करके सशक्त तथा सतत अर्थ तन्त्र निर्मित करने के इरादे से सम्पूर्ण विश्व में स्टार्ट अप कार्यक्रमों का सृजन किया है। इसने मानवीय ज्ञान तथा कौशल के प्रशिक्षण को अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक विकास के समान महत्त्वपूर्ण माना तथा स्टार्ट-अप के विकास के लिए नवीन अवसर उत्पन्न किये हैं। इन सभी ने सरकारी ढाँचों के नवीकरण हेतु एक परिदृश्य का सृजन किया है और डिजिटल विश्व में किसी प्रकार का अवरोध होने की बजाय क्रमश: वृद्धिकारी साइबर प्रभावी वैश्विक अर्थव्यवस्था हेतु मुक्त तथा स्वतन्त्र साइबर स्पेस सृजित करने के लिए अधिक सरल बनाया है। सरकार को डिजिटल जगत की सहायता से नागरिकों तथा आर्थिक वृद्धि के मध्य सेतु की भूमिका निभानी चाहिए और इसके लिए सम्पूर्ण विश्व में सरकारों की नीति निर्देशों में परिवर्द्धन की आवश्यकता है।

इस सम्मेलन में सामान्य जन तक पहुँच बनाने के लिए साइबर स्पेस के क्षेत्र में विज्ञान तथा तकनीक के आधुनिक क्षेत्रों के साथ परम्परागत विशेषज्ञता संयोजित करने का आह्वान किया गया। यहाँ सम्पूर्ण विश्व की सरकारों की भूमिका प्रशंसनीय है। वर्तमान समय में सरकारें सूचना तथा संचार तकनीक का उपयोग 'न्यूनतम सरकार के साथ उत्तम प्रशासन के लक्ष्य' को साकार करने के लिए एक प्रभावी युक्ति के रूप में उपयोग करती हैं। विश्व के देश नागरिकों और विशेष रूप से वंचित समूहों के मध्य प्रशासनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से जनसेवाओं की डिजिटल उपलब्धता के साथ-साथ डिजिटल अवसंरचना का सृजन करते हुए डिजिटल स्पेस में तकनीक के मानवीय पहलू को प्रोत्साहित करता रहा है।

सम्मेलन में भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने जन सामान्य के जीवन को सरल बनाने के लिए तकनीक के मानवीय पहलू को अपनाया है। जीसीसीएस 2017 के प्रारम्भिक सम्बोधन में, प्रधानमन्त्री ने इंटरनेट की समावेशी प्रकृति के विषय में बात की और कहा, "भारत में हम तकनीक के मानवीय पहलू को प्राथमिकता देते हैं और "जीविका सरलता" को उन्नत करने में इसका उपयोग करते हैं। डिजिटल इण्डिया विश्व का सबसे बड़ा तकनीक-प्रेरित रूपान्तरकारी कार्यक्रम है जो हमारे नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हम अपने

नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए मोबाइल पॉवर या एम-पॉवर का उपयोग कर रहे हैं।" डिजिटल तकनीक अपनाने से प्रशासन की भागीदारी में लोकतान्त्रिक मूल्यों तथा आदर्शों को सशक्त करते हुए भारत के आईटी क्षेत्र में किसानों, उद्यमियों, पेंशनभोगियों तथा महिलाओं के जीवन को सरल बनाने में सुविधा हुई है।

सम्मेलन की प्रमुख संकल्पना 'साइबर सभी के लिए' (cyber4all) ने साइबर स्पेस में भेदभावकारी व्यवहार की उन्मुख देशों के बीच जहाँ चुनिन्दा गेटवे ने इंटरनेट तक पहुँच को नियन्त्रित कर रखा है, वर्तमान डिजिटल विभाजन पर परिचर्चा के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया है। नेट न्यूट्रैलिटी (नेट निष्पक्षता) का सिद्धान्त *साइबर4ग्रोथ* (विकास के लिए साइबर) में उल्लिखित प्रमुख मुद्दों में से एक था। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्रीलंका के प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे ने साइबर स्पेस में नेट न्यूट्रैलिटी के महत्व के विषय में बात की। प्रधानमन्त्री ने कहा, "नेट न्यूट्रैलिटी इंटरनेट को निष्पक्ष क्षेत्र बनाते हुए प्रवेश की बाधाओं को कम करती है और ऑनलाइन व्यापार तथा उपक्रमों को फलने-फूलने में सहायता करती है।" श्रीलंकाई प्रधानमन्त्री ने यह दृष्टिकोण उस समय व्यक्त किया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य संघीय संचार आयोग नेट न्यूट्रैलिटी को खण्डित करने की योजना बना रहा है और इन्टरनेट को नियन्त्रित करने के लिए कुछ दूरसंचार कम्पनियों के लिए एकाधिकार सृजित करते हुए सूचना के प्रबन्धन हेतु सेवा प्रदाताओं को खुली छूट प्रदान करने जा रहे हैं। इससे लोकतान्त्रिक आदर्शों तथा सिद्धान्तों को वास्तविक क्षति पहुँचेगी जहाँ प्रत्येक को अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त होती है।

**आतंकी समूहों द्वारा इंटरनेट का बढ़ता उपयोग तथा साइबर सुरक्षा**

तकनीकी खतरों के मानवीय पक्ष पर बल देते हुए सम्मेलन में परिचर्चाकारों ने साइबर स्पेस में आतंकी तत्वों के बढ़ते दखल की ओर भी संकेत किया। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर स्पेस के खतरनाक परिदृश्य में नई चुनौतियाँ आयी हैं। आतंकवादी प्राय: अपने उन्मादी कार्यों में युवाओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और कभी-कभी हानिकारक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को धमकी देते हुए इन्टरनेट के उपयोग द्वारा राष्ट्रीय नेताओं की अपेक्षा वे अधिक लोकप्रियता हासिल करते हैं। अत: विश्व के देशों को साइबर हमलों को चिन्हित करने तथा उनकी रोकथाम के लिए सुरक्षा सेवाओं के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में सरकार को एक ओर निजता के संरक्षण तथा इंटरनेट के मुक्त व्यवहार के मध्य सन्तुलन सृजित करने तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हितों को संरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों तथा विनियमों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

किसी अन्य देश की भाँति भारत भी आतंकी समूहों तथा संगठनों द्वारा आक्रमण के लिए संवेदनशील हो गया है और साइबर सुरक्षा तथा आक्रामक क्षमताओं के लिए एक वैश्विक नियम बनाने की अतिशीघ्र आवश्यकता है। जीसीसीएस 2017 के उद्घाटन सत्र में आतंकवादियों तथा कट्टरपन्थी तत्वों द्वारा इन्टरनेट के उपयोग पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि केवल सुप्रशिक्षित और सक्षम कार्मिक ही साइबर हमलों से निपट सकते हैं और सुरक्षा एजेन्सियों को निरन्तर उभरते साइबर खतरों से निपटने में सूचना का आदान-प्रदान तथा समन्वयन करना चाहिए। पाँचवें जीसीसीएस 2017 में भाग लेने वाले देशों के मन्त्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने भी आतंकी समूहों द्वारा इंटरनेट के बढ़ते उपयोग पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व के सुरक्षा संगठनों को साइबर खतरों तथा साइबर लड़ाकों के विरुद्ध लड़ने में सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न हितधारकों सहित निजी तथा सरकारी, दोनों क्षेत्रो द्वारा संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।

सम्मेलन में अनेक देशों ने कहा कि साइबर अपराध राज्य प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किये जाते रहे हैं। सूचना एवं संचार के रूसी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि आन्द्रेई क्रुतस्किक ने कहा कि साइबर स्पेस में पूर्ण अराजकता ने उन हैकरों तथा आतंकवादियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थान प्रदान किया है जो गोपनीय सूचनाएँ एकत्र करने तथा अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति के आलोक में 120 से अधिक राष्ट्रों ने साइबर युद्ध से निपटने के लिए मिथ्या अभ्यासों का आयोजन किया। उन्होंने कहा, "हमारी धरती एक नये युग के किनारे पर खड़ी है जिसमें रोबोटिक्स तेजी से उभर रहे हैं, मानव शरीर में चिप संस्थापित किये जा रहे हैं, मानव रहित वाहन हैं तथा ब्लॉकचेन तकनीक (वह सूचना जो वितरित की जा सकती है किन्तु कॉपी नहीं की जा सकती) है..... किन्तु इन सभी क्षेत्रों के लिए सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करनी आवश्यक है, अत: हम सबको समझौते करने होंगे और इस खेल के नियम निर्धारित करने होंगे।" अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों को इस ढंग से प्रयुक्त करना चाहिए कि साइबर स्पेस में प्रभुसत्ता तथा निर्बाधिता के सिद्धान्त प्रभावित न हों। देशों को राज्य के आन्तरिक मामलों में दखल दिये बिना साइबर स्पेस में संयुक्त राष्ट्र समर्थित नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करना चाहिए।

विश्व की सरकारें वृद्धि तथा नवाचार के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के साथ अपनी जनसेवाओं में सूचना तथा तकनीक का उपयोग कर रही हैं। बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ डाटा तथा सेवाओं की विशेष सुरक्षा के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित करना तात्कालिक आवश्यकता है। चीनी तकनीकी कम्पनी हुवाई में साइबर सुरक्षा प्रमुख जॉन सफोल्क ने कहा कि "डिजिटल तकनीक पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता के कारण निजता तथा साइबर सुरक्षा में वृद्धि की आवश्यकता होती

है।" अपराधी अथवा साइबर लड़ाके गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डाटा का अवैध उपयोग कर सकते हैं। अत: सरकारों को उन कम्पनियों को सहायता देनी चाहिए जो व्यवस्थित ढंग से उपयोक्ताओं के निजी डाटा की सुरक्षा करती हैं और जो ऐसा करने में असफल रहती हैं उन्हें दण्डित करना चाहिए।

यह सर्वविदित है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में अकेला कोई राष्ट्र साइबर अपराधों को नियन्त्रित नहीं कर सकता जिसमें सरकार तथा संगठन डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं। राष्ट्रों के मध्य सहयोग अनिवार्य है। विश्व की सुरक्षा एजेन्सियों को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए और सूचनाओं का विनिमय करना चाहिए। नई सुरक्षा तकनीकों, साइबर जगत में नैतिक मूल्यों के प्रोत्साहन, साइबर स्पेस में वैध संस्थानों के सृजन, साइबर विशेषज्ञों के सृजन के लिए साइबर तत्परता के विनिमय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में अवैध गतिविधियों की देखभाल के लिए अतिशीघ्र तथा सक्षम निगरानी तन्त्र का आह्वान किया गया।

**साइबर कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग**

प्रशासन में संचार तथा तकनीक के प्रयोग से कुछ अवांछित समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। साइबर स्पेस की गतिशील तथा बढ़ती प्रकृति से नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। सीमाओं के अभाव तथा साइबर स्पेस में कार्य करने वालों की गुमनामी के कारण साइबर लड़ाके किसी देश के नेटवर्क को प्रभावी ढंग से प्रचालित कर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। अत: विश्व के देशों को प्रभुसत्ता तथा न्यायाधिकरण की परम्परागत संकल्पनाओं में सुधार करते हुए एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए; और साइबर स्पेस के वैश्विक सम्मेलन में साइबर विशेषज्ञों की अपार उपस्थिति से स्पष्ट हुआ है कि वे यही कार्य कर रहे हैं।

साइबर स्पेस में कूटनीति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए सभी देशों को मुक्त तथा पहुँचयोग्य साइबर स्पेस सुनिश्चित करते हुए साइबर स्पेस के विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रों को सतत प्रयास करने चाहिए। साइबर खतरों की विविध प्रकृति एक व्यापक तन्त्र निर्मित करने की प्रक्रिया को गति देती है जिसमें सभी हितधारक शामिल हों। किन्तु विशेष रूप से साझा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अभाव की स्थितियों में साइबर चुनौतियों से निपटना सरल कार्य नहीं है। राष्ट्रों को खतरों की पहचान करने तथा उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त उपायों का स्वैच्छिक रूप से क्रियान्वयन करना चाहिए। सम्मेलन में उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए 'साझा मूल्यों पर आधारित वैश्विक सहयोग' पर सभी प्रतिनिधि सहमत हुए।

विदेश मन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने जीसीसीएस 2017 के समापन समारोह में अपने भाषण में बल दिया कि कूटनीति के उपयोग तथा राष्ट्रों के मध्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से साइबर

स्पेस में सुरक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। साइबर स्पेस में ज्ञान साझा करने तथा चुनौतियों की वैश्विक समझ मजबूत करने पर बल देते हुए विदेश मन्त्री ने साइबर प्रशासन पर एक सर्वसम्मति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का आह्वान किया। साइबर क्षमताओं में प्रशिक्षित मानवश्रम तैयार करने के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस अन्तर्सम्बन्धित विश्व में वैश्विक सहयोग के माध्यम से साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, जीसीसीएस 2017 में विभिन्न देश साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए सहमत थे। यह एकदम स्पष्ट है कि डिजिटल इण्डिया पहल ने विकासपरक उद्देश्य के लिए डिजिटल तकनीक के उपयोग के माद्यम से भारत को उभरती साइबर अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, गरीबी उन्मूलन तथा ऐसे अनेक क्षेत्रों में सूचना एवं तकनीक का उपयोग बढ़ा है। डिजिटल समावेशन हेतु इन सभी पहलों के साथ साइबर सुरक्षा का खतरा भी उत्पन्न हुआ है। सशक्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना की दृष्टि से देश निचले पायदान पर है। 2017 में नासकॉम में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन चार शीर्ष देशों में शामिल रहा था जो रैनसमवेयर से बुरी तरह प्रभावित थे। जीसीसीएस 2017 में रूस के प्रतिनिधि ने बल दिया कि विवादों के समाधान के स्थान पर भारत और रूस को इंटरनेट के उपयोग से सम्बन्धित संघर्षों को रोकने में सहयोग को मजबूत करना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश एवं कॉमनवेल्थ कार्यालय मन्त्री एवं बिम्बलडन के लॉर्ड तारिक अहमद ने कहा कि उस युग में जहाँ डिजिटल तकनीक तथा इंटरनेट लोगों के जीवन के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करते हैं, कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों को साइबर सुरक्षा में घनिष्ठता से कार्य करना चाहिए और ज्ञान तथा कौशल बढ़ाने वाली सामूहिक क्षमता को साझा करना चाहिए। मन्त्री ने यह भी बताया कि ऑनलाइन व्यापार के सुचारु संचालन के लिए ब्रिटेन को विश्व के सर्वाधिक सुरक्षित राष्ट्रों में से एक बनाने के लिए पाँच वर्षों के दौरान लगभग 2 बिलियन डॉलर के निवेश द्वारा अपनी साइबर क्षमताओं को किस प्रकार बढ़ाया है। भारत सहित कॉमनवेल्थ के सभी सदस्य राष्ट्रों के हित साझा हैं और उन्हें डिजिटल तकनीक में वृद्धि करके नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने चाहिए।

सम्मेलन में सभी देश सहमत हुए कि भारत डिजिटल ज्ञान साझेदारी मंच का प्रारम्भ करेगा जिसमें सुरक्षित तथा वैश्विक साइबर स्पेस के सृजन के लिए राष्ट्रों के मध्य ज्ञान तथा कौशल के विनिमय में सहायता के लिए सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज शामिल होंगे।

**निष्कर्ष**

हाल के समय में अनेक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनों, आयोजनों, राष्ट्र प्रमुखों के मध्य सामाजिक, आर्थित तथा सांस्कृतिक जीवन में इंटरनेट के महत्त्व तथा आवश्यकता की परिचर्चा की गयी। इसी प्रकार व्यापक, मुक्त, सुरक्षित, सतत तथा सरल पहुँचयोग्य इंटरनेट प्रशासन को प्रोत्साहित करते हुए

विश्व साइबर स्पेस के पाँचवे सम्मेलन (जीसीसीएस) 2017 जैसे वैश्विक प्लेटफार्म ने अनेक हितधारकों की उपस्थिति में इंटरनेट के प्रमुख अवसरों तथा चुनौतियों पर ध्यान दिया जिसमें सरकारें, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवी तथा तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे।

इस अन्तर्सम्बन्धित विश्व में वैश्विक सहयोग के माध्यम से साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व है। इसके अतिरिक्त, सरकार को साइबर खतरों की चुनौतियों तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के विषय में सामान्य उपयोक्ताओं में जागरूकता भी उत्पन्न करनी चाहिए। नागरिक भागीदारी के लिए तकनीकी प्रगति प्रभावी उपकरण सृजित करने वाली होनी चाहिए। सम्मेलन में 'एक्सेस (पहुँच) कार्यक्रम, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, सामुदायिक तकनीक स्पेस तथा कम लागत की एक्सेस डिवाइस' पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विकास के सभी क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन का आह्वान किया। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय साइबर समन्वयन जैसे विभिन्न दोषों तथा मुद्दों को उजागर किया गया और साइबर समन्वयन हेतु एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक संरचना तैयार करने के प्रयास पर बल दिया गया। इसमें साइबर अपराधियों के आक्रमणों से नागरिकों की महत्त्वपूर्ण अवसंरचना तथा डाटा की सुरक्षा के लिए उत्तम साइबर व्यवहार की सार्थकता पर बल दिया गया। इस प्रक्रिया में शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त सुधार करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी साइबर स्पेस द्वारा उत्पन्न की गयी विशाल साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।

****

**डॉ. चयनिका डेका, शोधकर्ता, वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली।*

*अस्वीकरण : इसमें व्यक्त विचार शोधार्थी के हैं न कि परिषद के।*

## अंत टिप्पण

i Global Conference on Cyber Space 2017, https://gccs2017.in/about#goal, accessed on 1 December 2017
ii GCCS Conferences, 2011 London, GCCS 2017: Global Conference on Cyber space, https://gccs2017.in/pastconferences, accessed on 15 December , 2017
iii GCCS2017, Chair statement.
iv Chair statement,Budapest Conference on Cyberspace, 4-5 October 2012, https://www.gccs2015.com/sites/default/files/documents/Chair%27s%20Summary%20Budapest.pdf, accessed 15 December, 2017
v ibid
vi GLOBAL CONFERENCE ON CYBERSPACE 2015 CHAIR'S STATEMENT, https://www.gccs2015.com/sites/default/files/documents/Chairs%20Statement%20GCCS2015%20-%2017%20April.pdf, accessed 15 December 2017.
vii Global Conference on cyber space, Chair statement,
viii ibid
ix London Conference on Cyber Space, Chair's statement, 2 November 2011, https://www.gov.uk/government/news/london-conference-on-cyberspace-chairs-statement, accessed 15 December 2017.
x Global Conference on Cyber space 2017, Chair's statement.

xi ibid
xii ibid
xiii Budapest Conference on Cyber Space, 4-5 October 2012, https://www.gccs2015.com/sites/default/files/documents/Chair%27s%20Summary%20Budapest.pdf, accessed 17 December 2017.
xivibid
xv Seoul Framework for and Commitment to Open and Secure Cyberspace, https://www.dsci.in/sites/default/files/Seoul%20Framework.pdf, accessed 15 December 2017. xviGlobal Conference on Cyber Space 2015, https://www.gccs2015.com/gccs/all-about-gccs2015, accessed 16 December 2017
xviiibid
xviii ibid
xix Global Conference on Cyberspace 2017, https://gccs2017.in/about#goal, accessed on 1 December 2017
xx Governments must not censor internet, says William Hague, The Guardian, 1 November 2011, https://www.theguardian.com/technology/2011/nov/01/governments-must-not-censor-internet, accessed on 1 December 2017.
xxi "Digital India – A programme to transform India into digital empowered society and knowledge economy", PIB, Government of India, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=108926.
xxii"India to Host Global Conference on Cyber Space 2017 – World's Largest Conference on Cyber Space", PIB, Governmnet of India, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=168850, accesed 1 December 2017
xxiiiFull Text of PM Narendra Modi's speech at GCCS: Stop cyber space from becoming terror playground", The Financial Express, 23 November 2017, http://www.financialexpress.com/india-news/full-text-of-pm-narendra-modis-speech-at-gccs-stop-cyber-space-from-becoming-terror-playground/944665/, accessed 15 December 2017
xxiv Global Conference on Cyber Space 2017, Chair's statement
xxv "Full Text of PM Narendra Modi's speech at GCCS: Stop cyber space from becoming terror playground", The Financial Express, 23 November 2017, http://www.financialexpress.com/india-news/full-text-of-pm-narendra-modis-speech-at-gccs-stop-cyber-space-from-becoming-terror-playground/944665/.
xxvi "Sri Lankan PM bats for net neutrality at cyber meet", The Times of India, 24 November 2017, https://timesofindia.indiatimes.com/india/sri-lankan-pm-bats-for-net-neutrality-at-cyber-meet/articleshow/61778519.cms
xxvii Ibid
xxviiiRussia, India call to boost cooperation in information security field — envoy", Tass, Russian News Agency, 24 November 2017, http://tass.com/politics/977371.
xxixibid
xxx "Cyber Security: Are digital doors still open", NASSCOM, 17 November 2017, http://www.nasscom.in/natc/images/white-papers/cyber-security.pdf
xxxi "Commonwealth to prioritise cyber security; cyber capacity building: UK minister", business Standard, 24 November 2017, http://www.business-standard.com/article/news-ani/commonwealth-to-prioritise-cyber-security-cyber-capacity-building-uk-minister-117112400820_1.html
xxxii ibid
xxxiiiGCCS 2017 – Chair's Statement- Summary , PIB, GOI, http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx, accessed 23 December 2017.